

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति

06 जनवरी, 2026 ई०

संख्या-1689/तीन-04/चक0 सं0/2023-24-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा0सं0-833/XVIII(3)/2025-03(10)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून यह घोषणा करती हूँ कि जनपद हरिद्वार, तहसील रुड़की के ग्राम रांघड़वाला, जिसे विज्ञप्ति संख्या-4659/चक0सं0 दिनांक 01 दिसम्बर 2015 द्वारा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में चकबन्दी क्रियायें इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से रद्द हो जायेंगी।

रंजना राजगुरु,
आयुक्त एवं सचिव/
संचालक, चकबन्दी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 17-01-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 राजस्व/53-13-02-2026-27 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)